53RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनवानी अशोक कुमार ऐश्वर्य आदि प्र. सं. 374/23	

29.11.24

पत्रावली आज पेशी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 हाजिर आने पर ली गई। उभयपक्ष स्वयं हाजिर होकर शपथपत्र इस आशय का पेश किया कि हस्तगत वाद पत्र में मिकरान खाता विभाजन नहीं करवाकर अपवादित खाते में दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। चक 4 JDW खाता सं. 10/6 में वादी अशोक कुमार हिस्सा 1606/3276 वादी सं. 2 सुनीता हिस्सा 1328/3276 व प्रति. स. 1 ऐश्वर्य हिस्सा 379/3276 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाते के योग 3276 है. के साथ खातेदारान योग/हिस्सा का मिलान नहीं होने के कारण खाता अपवादित हो गया अतः उभयपक्षों की उपस्थिति में अपवादित खाता निम्न प्रकार हिस्साकस्सी कर दुरुस्त किया जावे कि:- चक 4 JDW खाता सं. 10/6 कुल रकबा 3.276 में हिस्सा अशोक कुमार का 1588/3276, ऐश्वर्य का हिस्सा 379/3276 व सुनीता का हिस्सा 1309/3276 दर्ज कर इसी अनुसार दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व तहसील के पत्रांक LR/24/2636 दिनांक 18/7/24 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। चूंकि खाता हिस्साकस्सी सही नहीं होने के कारण अपवादित की श्रेणी में है तथा सभी खातेदार उपस्थित होकर अपना हिस्सा सही कर खाते से अपवादित का अंकन हटाने में [illegible] सहमति आधार पर वाद पत्र [illegible] तहसीलदार हनुमानगढ़ [illegible] किया जाता है कि हिस्सा अशोक कुमार (15[illegible]/3276) हिस्सा ऐश्वर्य (379/3276) हिस्सा सुनीता (1309/3276) दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.11 17:55:35 IST
Reason: SelfAttested